(147
(146

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

पनकी देवी एवं अन्य बनाम बहन दुसाध — मिसलेनियस केस नं0-06/2000

24.7.17

आदेश

आवेदक नारायण महतो एवं 02 अन्य पिता-स्व0 मुरत महतो, ग्राम-पपलो, थाना-मरकच्चो द्वारा यह अपील वाद विद्वान आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा विविध अपील संख्या 63/1999 नारायण यादव एवं अन्य बनाम प्रसादी दुसाध एवं अन्य में दिनांक 13-3-2000 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विद्वान आयुक्त द्वारा पारित आदेश में अंकित है कि " I am not deciding the case on merit, hence this case is remanded to the Deputy Commissioner, Koderma to reconsider the case after affording appropriate opportunities to the parties and to pass an speaking order. "

मुरत महतो द्वारा दीना दुसाध के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है। दिनांक 20-11-2007 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन था कि इस वाद में निहित भूमि रैयती एवं गैर मजरूआ दोनो है जिस पर दोनो पक्षो के बीच समझौता होने की संभावना है। चूँकि सरकारी भूमि पर दोनो के समझौता को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः तत्कालीन उपायुक्त द्वारा सरकार को भी इसमे intervenor बनाते हुए विद्वान सरकारी अधिवक्ता को इस वाद में निहित तथ्यों के अध्ययन उपरान्त अपना लिखित मंतव्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

आवेदकगण एवं विपक्षीगण के द्वारा एक सुलहनामा दिनांक 24-2-2009 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :-

साकिन-पपलो के कुल 20 प्लॉट को मिलाकर 29 एकड़ 55 डी0 आवेदकगण के पिता मुरत महतो को बन्दोबस्ती से हासिल है और बन्दोबस्ती की तिथि से मुरत महतो को दखल-कब्जा था तथा जमीन्दारी मालगुजारी रसीद के साथ-साथ सरकारी मालगुजारी रसीद भी निर्गत हुआ है। मुरत महतो के मृत्यु पश्चात् आवेदकगण के दखल-कब्जा में है। बेनी महतो को खाता नं0-22, प्लॉट नं0-492, रकवा-76डी0, प्लॉट नं0-137/14, रकवा-29डी0, प्लॉट नं0-521, रकवा-0.06डी0, जो कि खतियानी रकवा-06डी0 है जो मुरत महतो के दखल में था एवं मुरत महतो के बाद उनके वारिशानों के दखल में अभी भी है। इस पर विपक्षी दावा नही करते है। प्लॉट नं0-1.37 में 1.50 ए0 बन्दोबस्ती से हासिल है। जिसपर बेनी महतो के मृत्यु पश्चात् उनके उत्तराधिकारी मसोमात गंगिया एवं इनके अन्य हिस्सेदारों का दखल-कब्जा है।

खाता नं0-22, प्लॉट नं0-492/30, रकवा-30डी0, प्लॉट नं0-492/17, रकवा-39डी0, प्लॉट नं0-492/40, रकवा-51डी0, प्लॉट नं0-492/41, रकवा-0.06डी0 कुल 1.26ए0 एवं 137 में 1.00ए0 एवं पुनः 137 में 0.47डी0 वल्द विशुन महतो के नाम से बन्दोबस्ती से हासिल है एवं विशुन महतो के मृत्यु पश्चात् उनके वारिशान मसो0 बुन्दिया देवी, कौशल्या देवी, बलदेव महतो वगैरह एवं उनके अन्य हिस्सेदारों का दखल-कब्जा है। खाता नं0-22, प्लॉट नं0-492/09, रकवा-36डी0, 992/26, रकवा-48डी0, 492/41 रकवा-62डी0, प्लॉट नं0-492/54, रकवा-04डी0, कुल 1.57ए0 के साथ प्लॉट नं0-137/6, रकवा-36डी0 पुनीत महतो के नाम से बन्दोबस्ती से हासिल है एवं पुनित महतो के दखल-कब्जा में है।

C.C.No 265 ...8.17
C.C.No 257 18.8.17
C.C.No 270 ...8.17

खाता नं0-22, प्लॉट नं0-492/14, रकवा-10डी0, 492 रकवा 0.03डी0 एवं प्लॉट नं0-137 रकवा 30डी0 कुल 43डी0 गोपाल महतो के नाम से बन्दोबस्ती से हासिल है एवं गोपाल महतो के मृत्यु पश्चात् उनके लड़कों भातु महतो वगैरह के दखल-कब्जा में चला आ रहा है। खाता नं0-22, प्लॉट नं0-492/05, रकवा-10डी0, प्लॉट नं0-492/24, रकवा-17डी0, प्लॉट नं0-137, रकवा-0.09डी0 एवं 492/57, रकवा-03डी0 कुल 52डी0 जमीन खीरो महतो के नाम से बन्दोबस्ती से हासिल है एवं खीरो महतो के मृत्यु पश्चात् शुकर महतो वगैरह के दखल-कब्जे में चला आ रहा है।

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

Scanned with CamScanner

खाता नं0–22, प्लॉट नं0–492/09, रकवा–24डी0, प्लॉट नं0–492/26, रकवा–29डी0, प्लॉट नं0–492/71, रकवा–40डी0, प्लॉट नं0–492/50, रकवा–0.08डी0, कुल रकवा–1.01ए0 एवं प्लॉट नं0–137, रकवा–60डी0, जीतन महतो के नाम से बन्दोबस्ती से हासिल है एवं जीतन महतो के मृत्यु पश्चात् उनके वारिशानों का दखल–कब्जा है। खाता नं0–22, प्लॉट नं0–492/10, रकवा–10डी0, 492/11 रकवा–13डी0, 492/32 रकवा–17डी0 एवं 492/58 रकवा–03डी0 कुल 43 डी0 एवं प्लॉट नं0–137 रकवा–36डी0 बढ़न महतो के नाम से बन्दोबस्ती से हासिल है एवं बढ़न महतो के मृत्यु पश्चात् नृपत महतो, नारायण महतो वगैरह के दखल–कब्जा में चला आ रहा है। प्लॉट नं0–492 एक बहुत बड़ा प्लॉट का रकवा है इस कारण आवेदकगण एवं विपक्षियों की जमीन एक दूसरे से अलग है और दोनों पक्ष अलग–अलग अपने–अपने जमीन पर दखल कब्जा में है।

विपक्षियों को भी बन्दोबस्ती की तिथि से दखल–कब्जा तथा जमीनदारी मालगुजारी रसीद के साथ सरकारी मालगुजारी रसीद भी निर्गत हुआ है। आवेदकगण एवं विपक्षीगण को एक दूसरे की जमीन से न कोई सरोकार है और नही दावा करते है और न भविष्य में एक दूसरे के जमीन पर कोई दावा करेंगे।

दिनांक 02–5–2017 को सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा ने सरकार की ओर से अपना लिखित मंतव्य न्यायालय में समर्पित किया। उनका विधिक मंतव्य है कि:–

1. That the instant appeal is not maintainable either in law or in facts and it to be dismissed at once.
2. That after due investigation and verification, learned Circle Officer, Markacho found the Zamabandi is doubtful and after manipulation in Government record, the appellant want to grab the land of Government.
3. That learned DCLR rightly called for the record, conducted enquiry as enquiry officer and held that there is doubtful Zamabandi and after that the record has been sent to the learned SDO Koderma for final order.
4. Learned SDO Koderma found that these appellants want to grab the land of state Government moreover the appeal I miserably barred by law of limitation and the reason for condoning delay is not satisfactory as there is not so long holiday in executive side for Puja Holiday.
5. The actual the matter is of civil dispute and the appellants should knock the door of competent court of law i.e. civil court as there is matter of title rather Zamabandi.
6. That the grounds of appeal are contradictory itself as I para 5 of grounds, it is stated that LRDC has got not power for initiation of proceeding rather it is SDO and in para 6 of grounds it is stated that the final order given by SDO is wrong.
7. That the land in question is Gair Mazurwa and recorded in the name of State of Bihar and on basis of forged and fabricated documents, the appelleant want to garb the Government land and it was the reason that both side private parties have filed the compromise petition in collusion and it was the reason that the compromise petition was rejected.
8. That if any staff or public will do any illegal work then they are personally liable for the same rather the State Government and on illegal documents, no one can be permitted to encroach or acquire the land of State Government.
9. That the land in question is valuable and without having any valid and legal documents, the Appellants want to grab the Government land.

Scanned with CamScanner

10. That the Appellants are unable to show the valid documents of title regarding the land in question.
11. That it is the bounded duty of the Appellants to prove their documents but they have miserably failed to prove the same.
12. That it is established principle of law that Rent Receipt does not ceate any right, title over the land and hence the order given by learned lower court is correct.

अंचल अधिकारी, मरकच्चो ने अपने पत्रांक 424 दिनांक 17–06–17 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–पपलो, थाना संख्या–147 के खाता नं0–22, रकवा–29.55 एकड़ की जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–129/II पर मूरत महतो पिता–टीपन महतो के नाम से अंकित है। आवेदन में वर्णित बन्दोबस्ती ग्राम पपलो के है तथा सभी का दखल–कब्जा एक दूसरे के भूमि से अलग है। वर्त्तमान में पक्षकारों के बीच दखल–कब्जा से संबंधी कोई विवाद नहीं है। उक्त भूमि गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। विद्वान आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा विविध वाद में पारित आदेश में अंकित किया है कि " I am not deciding the case on merit, hence this case is remanded to the Deputy Commissioner, Koderma to reconsider the case after affording appropriate opportunities to the parties and to pass an speaking order. "

अंचल अधिकारी, मरकच्चो के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि गैर मजरूआ खास खाते की है। अपीलार्थी एवं विपक्षी उक्त गैर मजरूआ खास खाते की जमीन को सुलहनामा के आधार पर हासिल करना चाहते है।

अतः अंचल अधिकारी, मरकच्चो के प्रतिवेदन के आलोक में विद्वान सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से सहमत होते हुए उक्त विविध अपील को खारीज किया जाता है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लेखाापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

उपायुक्त
कोडरमा।

Scanned with CamScanner